

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/01/2019

प्रवेश तिथि

17-01-2019

निर्णय दिनांक

14-02-2019

01- फाबूला पुत्र रामधन जाति मीना निवासी ग्राम झालाटाला तह० लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज०
अपीलान्ट

बनाम

01- नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ जिला अलवर

असल रैस्पोंडेन्ट

02- सोमवती पत्नी श्री मथुरा जाति मीना निवासी ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

तरतीबी रैस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ
दिनांक 27.12.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 59/2018

उपस्थित:-

01-श्री जनार्दन शर्मा

-वकील अपीलान्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 27.12.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम झालाटाला की सिवायचक गै०मु० रास्ता भूमि आराजी खसरा नम्बर 986/0.14 है० में से 0.03 है व 1034/1.53 है० में से 0.03 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रैस्पों० को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम झालाटाला की सिवायचक गै०मु० रास्ता भूमि आराजी खसरा नम्बर 986/0.14 है० में से 0.03 है व 1034/1.53 है० में से 0.03 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 12.12.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 07.02.2019 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का झालाटाला द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 28.01.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।



(औ०पी० जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)